

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

रामलाल पुत्र देशाराम जी जाति  
मीणा निवासी केसरपुरा तह0  
शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अंकुदेवी पुत्री अजुबाई
2. औटीदेवी पुत्री अजुबाई
3. फूलीदेवी पुत्री अजुबाई
4. भीमाराम पुत्र अजुबाई
5. भीमाराम पुत्र भूरा
6. लेहरीदेवी पुत्री अजुबाई
7. वीरुदेवी पुत्री अजुबाई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06/2025

—:निर्णय:—

दिनांक 01.08.2025

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 393 दिनांक 02.07.2025 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2025/475 दिनांक 24.07.2025 से वादग्रस्त भूमि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 420, 421, 448 रकबा क्रमशः 2.6062, 0.6151, 1.1736 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.3949 हैक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 01.08.2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 459  
प्रतिलिपि पालनार्थ:-  
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
सहायक कलक्टर  
शिवगंज  
शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्री व मुकदमें इक्टदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाबदा चीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)  
बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी  
रामलाल पुत्र देशाराम जी जाति  
मीणा निवासी केसरपुरा तह0  
शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अंकुदेवी पुत्री अजुबाई
2. औटीदेवी पुत्री अजुबाई
3. फूलीदेवी पुत्री अजुबाई
4. भीमाराम पुत्र अजुबाई
5. भीमाराम पुत्र भूरा
6. लेहरीदेवी पुत्री अजुबाई
7. वीरुदेवी पुत्री अजुबाई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0- 06/2025

दिनाक 01.08.2025

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादग्रस्त भूमि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 420, 421, 448 रकबा कमशः 2.6062, 0.6151, 1.1736 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.3949 हैक्टयर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त भूमि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 420, 421, 448 रकबा कमशः 2.6062, 06151, 1.1736 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.3949 हैक्टयर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनाक 01.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

( नीरज मिश्र )  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
शिवगंज सिरोही

मुदाई	रूपया / पै.	मुद्रायलाह	रूपया / पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबत इजराय हुकमनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान	-:शून्य:-

क्रमांक / कोर्ट / 2025 /  
प्रतिलिपि पालनार्थ:-  
तहसीलदार, शिवगंज।

460

दिनांक 01.08.2025

( नीरज मिश्र )  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
शिवगंज सिरोही